रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2008/कार्तिक 5, 1930
No. 174] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2008/KARTIKA 5, 1930

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2008

सं. एल-7/142/157/2008-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. टैरिफ के अवधारण के आवेदन हेतु फीस.—(1) उत्पादन केन्द्र या उसके यूनिट के टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ उस प्रत्येक वर्ष, जिसके लिए टैरिफ अवधारित किया जाना है, के लिए ऐसे उत्पादन केन्द्र या यूनिट की संस्थापित क्षमता के तत्स्थानी 2000 रुपए/मेगावाट/प्रति वर्ष की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी :

परन्तु यह और कि उत्पादन कम्पनी पहले वर्ष के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की संस्थापित क्षमता के तत्स्थानी 2000 रुपए/मेगावाट/प्रति वर्ष की दर पर फीस का संदाय कर सकेगी और अतिशेष फीस का संदाय 2000 रुपए/मेगावाट/प्रति वर्ष की दर पर वार्षिक किस्तों में किया जाएगा ।

(2) अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ आवेदन में प्रतिवर्ष दावा किए गए कुल वार्षिक पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी :

परन्तु यह और कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय पहले वर्ष के लिए दावा किए गए वार्षिक पारेषण प्रभारों का 0.05% की दर पर फीस का संदाय कर सकेगा तथा अतिशेष फीस का संदाय प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक दावा किए गए पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यथापूर्वोक्त संदत्त फीस का अंतिम रूप से समायोजन प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अवधारित वास्तविक टैरिफ के साथ किया जाएगा ।

3. टैरिफ के अवधारण से भिन्न प्रयोजनों के लिए आवेदन की फीस

(1) केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अधीन द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अवधारित टैरिफ को स्वीकार करने हेतु आवेदन के साथ 5 लाख रुपए की फीस संलग्न की जाएगी ।

(2) विद्युत के अन्तर-राज्यिक पारेषण या अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए ।

(3) ऐसा आवेदन, जो टैरिफ के अवधारण या उसे अंगीकार करने के लिए आवेदन या विद्युत में अन्तर-राज्यिक पारेषण या अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण या उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं है किन्तु इसमें अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए आवेदन सम्मिलित है, के साथ चालीस हजार रुपए (40, 000 रुपए) की फीस संलग्न की जाएगी तथा आयोग द्वारा ऐसे आवेदन ग्रहण करने पर आवेदन को ग्रहण करने के आदेश की संसूचना के दो सप्ताह के भीतर एक लाख साठ हजार रुपए (1,60,00 रुपए) की और फीस संदत्त की *जाएगी* ।

(4) खंड (1) से खंड (3) में विनिर्दिष्ट के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित रूप से विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अन्तर्वर्ती आवेदन	40,000/ रुपए
(ख) न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आवेदन	500/ रुपए प्रतिदिन किन्तु तीन घंटे से अनधिक
(ग) न्यायिक अभिलेखों के भाग रूप दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन	10/ रुपए प्रति पृष्ठ

(5) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र या प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किए गए आवेदन पर कोई फीस संदेय नहीं होगी ।

4. अनुज्ञप्ति फीस

(1) अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसमें इस प्रयोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें परन्तुक में निर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्ति समझा जाने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है, उस वर्ष के लिए लागू वार्षिक पारेषण प्रभारों का 0.05% प्रति वर्ष की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा :

परन्तु यह और कि वर्ष 2008-09 के लिए अनुज्ञप्ति फीस का संदाय इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से 30 दिन के भीतर किया जाएगा ।

(2) ऐसा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, जिसे विद्युत के अन्तर-राज्यिक पारेषण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से तथा अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के पूर्ववर्ती तारीख तक प्रतिवर्ष दो लाख रुपए (2,00,000 रुपए) की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा ।

(3) ऐसा विद्युत व्यापारी, जिसे विद्युत में अन्तर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का संदाय करेगा: —

क्रम सं0	अनुज्ञप्ति का प्रवर्ग	फीस/प्रति वर्ष (रूपए लाख में)
1.	प्रवर्ग 1	30
2.	प्रवर्ग 2	12.50
3.	प्रवर्ग 3	2.50

टिप्पण :केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने और अन्य सहबद्ध विषयों के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तें) विनियम, 2008 के प्रवर्ग 'घ', 'ङ' तथा 'च' के तत्स्थानी प्रवर्ग 1, प्रवर्ग 'ख' तथा 'ग' के तत्स्थानी प्रवर्ग 2 तथा प्रवर्ग के तत्स्थानी प्रवर्ग 3 ।

(4) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख के तीस दिन के भीतर तथा उसके पश्चात् वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक किया जाएगा ।

5. वर्ष के भाग के लिए संदेय फीस

वर्ष के भाग के लिए, फीस वर्ष के दौरान दिनों की संख्या के आनुपातिक संदेय होगी तथा उसे निकटतम सौ रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा ।

6. विलंब संदाय अधिभार

किसी अन्य कार्रवाई, जो इन विनियमों के अननुपालन के लिए समुचित समझी जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनः असंदत्त फीस की अवधि के लिए प्रत्येक मास या उसके भाग हेतु बकाया रकम पर एक प्रतिशत (1%) की दर पर विलंब संदाय अधिभार संदत्त किया जाएगा ।

7. संदाय की पद्धति

सभी फीस, जिसमें विलंब संदाय अधिभार भी है, सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट /संदाय आदेश के माध्यम से संदेय होंगी ।

8. फीस का लेखांकन

आवेदन के साथ फीस की प्रविष्टि इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप 1 में दिए गए फारमेट में इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा बनाए रखे जाने वाले रजिस्टर में की जाएगी तथा प्राप्त अनुज्ञप्ति फीस की प्रविष्टि विद्युत में पारेषण अनुज्ञप्ति तथा अन्तर-राज्यिक व्यापार अनुज्ञप्ति के लिए पृथक् रूप से प्ररूप 2 में दिए गए फारमेट में इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे जाने वाली रजिस्टर में की जाएगी ।

9. शिथिल करने की शक्ति

आयोग समुचित मामलों में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए इस विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

10. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2004 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझे जाएंगे ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई बात या किए जाने के लिए आशयित कोई बात इन विनियमों के अधीन की गई कोई बात या किए जाने के लिए आशयित समझी जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन/III/4/असाधारण/150/08]

4139 GI/08-2

प्ररूप 1

क्रम सं0	याचिका/ आवेदन संख्या	फीस जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	संदेय अतिशेष फीस, यदि कोई हो	संदेय अधिभार, यदि कोई हो	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतिशेष फीस का संदाय						
अतिशेष फीस जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	क्या अतिशेष फीस के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
11	12	13	14	15	16	17

अधिभार का संदाय							
अधिभार जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	क्या अधिभार फीस के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया	टिप्पणियां
18	19	20	21	22	23	24	25

7

प्ररूप 2

क्रम सं0	फीस भेजने वाले पक्षकार का नाम		रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	संदेय अतिशेष फीस, यदि कोई हो	संदेय अधिभार यदि कोई हो	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस अधिकारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतिशेष फीस का संदाय						
अतिशेष फीस जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	क्या अतिशेष फीस के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया
11	12	13	14	15	16	17

अधिभार का संदाय							
अधिभार जमा करने वाले पक्षकार का नाम	रकम	डीडी/पे आर्डर सं0 तथा तारीख	बैंक/शाखा का नाम	अधिभार के साथ संदाय पूर्णतः कर दिया गया है	डीडी/पे आर्डर प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर	उस कर्मचारी का नाम तथा हस्ताक्षर जिसने डीडी/पे आर्डर पारित किया	टिप्पणियां
18	19	20	21	22	23	24	25

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2008

No. L-7/142/157/2008-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and of all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred as "the Commission") hereby makes the following regulations, namely :-

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the *Central Electricity Regulatory* Commission (Payment of Fees) Regulations, 2008.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Fee for Application for Determination of Tariff

(1) An application for determination of tariff of a generating station or a unit thereof, shall be accompanied by a fee payable at the rate of Rs.2,000/MW/annum corresponding to the installed capacity of such generating station or unit for each year, for which tariff is to be determined:

Provided that the generating company may pay the fee at the rate of Rs.2,000/MW/annum, corresponding to the installed capacity of the generating station or a unit thereof, while making the application for determination of tariff for the first year and the balance fee may be paid in yearly installments at the rate of Rs.2000/MW/annum, by 30th April of each year.

(2) An application for determination of tariff for inter-State transmission system or an element thereof shall be accompanied by a fee payable at the

rate of 0.05% of the total annual transmission charges per annum claimed in the application:

Provided that the transmission licensee may while making the application for determination of tariff pay fee at the rate of 0.05% of the annual transmission charges claimed for the first year and the balance fee may be paid in yearly installments at the rate of 0.05% of the transmission charges claimed, by 30th April of each year;

Provided further that the fee paid as aforesaid shall be finally adjusted with actual tariff determined by the Commission for each year;

3. Fee for Application for Purposes Other Than Determination of Tariff

(1) An application for adoption of tariff determined through the transparent process of bidding under Section 63 of the Electricity Act, 2003 in accordance with the guidelines issued by the Central Government shall be accompanied by fee of Rs.5 lakh.

(2) An application for grant of licence for inter-State transmission of, or inter-State trading in, electricity shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Central Government from time to time.

(3) An application which is not an application for determination or adoption of tariff or an application for grant of licence for inter-State transmission of, or inter-State trading in electricity, or an application for inspection or obtaining certified copies of judicial records, but, including an application for approval of provisional tariff, shall be accompanied by a fee of Rs. forty thousand (Rs.40,000/-) and on admission of such application by the Commission, a further fee of Rs. one lakh and sixty thousand (Rs.1,60,000/-) shall be paid within two weeks of communication of order of admission of the application.

(4) An application for any purpose other than those specified in clauses (1) to (3) (both inclusive) shall be accompanied by fee specified hereunder, namely:

(a) Interlocutory application	Rs.40,000/-
(b) Application for inspection of judicial records	Rs.500/- per day, not exceeding three hours
(c) Application for obtaining certified copy of the documents forming part of judicial records	Rs.10/- per page

(5) No fee shall be payable for an application made by the National Load Despatch Centre or the Regional Load Despatch Centre.

4. **Licence Fee**

(1) The transmission licensee for inter-State transmission, including a person *deemed* to be a transmission licensee referred to in the first, *second*, third, fourth and fifth provisos to Section 14 of the Electricity Act, 2003 for such purpose, shall pay licence fee at the rate of 0.05% per annum of the annual transmission charges applicable for that year:

Provided that the licence fee for the year 2008-09 shall be paid within 30 days of commencement of these regulations.

(2) The transmission licensee granted a licence for the inter-State transmission of electricity shall pay licence fee at the rate of Rs.two lakh (Rs.2,00,000/-) per annum from the date of grant of licence and up to the date *preceding* the date of *commercial* operation of the inter-State transmission system or an element thereof.

(3) An electricity trader granted licence for inter-State trading in electricity shall pay fee at the rates specified hereunder:

Ser No.	Category of licence	Fee/annum (Rs. in lakh)
1.	Category-I	30
2.	Category-II	12.5
3.	Category-III	2.5

Note: Category I corresponds to Categories `D', `E' and `F'. Category II corresponds to Categories `B' and `C' and Category III corresponds to Category `A' of the Central Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms & Conditions for grant of Trading Licence and other related matters) Regulations, 2004.

(4) Fee specified in this regulation shall be paid within thirty days of the date of grant of licence and thereafter annually by 30th April of each year

5. **Fee Payable for Part of Year**

For a part of the year, fee shall be payable pro rata to the number of days during the year and shall be rounded off to the nearest hundred rupees.

6. **Late Payment Surcharge**

Without prejudice to any other action that may be considered appropriate for non-compliance of these regulations, late payment surcharge at the rate of one per centum (1%) shall be paid on the outstanding amount for each month or part thereof for the period fee remains unpaid shall be paid.

7. Mode of Payment

All fees, including late payment surcharge shall be payable through a demand draft/pay order in favour of Assistant Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, at New Delhi.

8. Accounting of fee

Application filing fee received shall be entered into a register to be maintained by the Commission for the purpose in the format given in the Form-I appended to these regulations and the licence fee received shall be entered into a register to be maintained for the purpose in the format given in the Form-II separately for transmission licensee and the licensee for inter-State trading in electricity.

9. Power to Relax

The Commission may in appropriate cases and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations.

10. Repeal and Saving

(1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Payment of Fee) Regulations, 2004 shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT/III/4/Exty./150/08]

Form-I

Sl No.	Petition/ Application No	Name of the party remitting fee	Amount	No and date of DD/Pay Order	Name of the Bank/Branch	Balance fee payable, if any	Surcharge payable if any	Name and initials of the official receiving DD/Pay Order	Name and initials of the official to whom DD/Pay Order/ has been passed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Payment of balance fee						
Name of the party remitting balance fee	Amount	No and date of DD/Pay Order	Name of the Bank/Branch	Whether the payment completely settles the balance fee.	Name and initials of the official receiving DD/Pay Order	Name and initials of the official to whom DD/Pay Order/ has been passed
11	12	13	14	15	16	17

Payment of surcharge							
Name of the party remitting surcharge	Amount	No and date of DD/Pay Order	Name of the Bank/Branch	Whether the payment completely settles the surcharge	Name and initials of the official receiving DD/Pay Order	Name and initials of the official to whom DD/Pay Order/ has been passed	Remarks
18	19	20	21	22	23	24	25

4139 GI/08-4

Form-II

Sl No.	Name of the party remitting fee	Purpose of remittance	Amount	No and date of DD/Pay Order	Name of the Bank/Branch	Balance fee payable, if any	surcharge payable, if any	Name and initials of the clerk receiving DD/Pay Order	Name and initials of the official to whom DD/Pay Order/ has been passed
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Payment of balance						
Name of the party remitting balance fee	Amount	No and date of DD/Pay Order	Name of the Bank/Branch	Whether the payment completely settles the balance	Name and initials of the clerk receiving DD/Pay Order	Name and initials of the official to whom DD/Pay Order/ has been passed
12	13	14	15	16	17	18

Payment of surcharge							
Name of the party remitting surcharge	Amount	No and date of DD/Pay Order	Name of the Bank/Branch	Whether the payment completely settles the surcharge	Name and initials of the clerk receiving DD/Pay Order	Name and initials of the official to whom DD/Pay Order/ has been passed.	Remarks
19	20	21	22	23	24	25	26

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.